भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
BHARAT ELECTRONICS
QUALITY, TECHNOLOGY, INNOVATION

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
BHARAT ELECTRONICS LIMITED

(भारत सरकार का उद्यम)
(A Government of India Enterprise)
पंजीकृत व कारपोरेट कार्यालय - आउटर रिंग रोड, नागवारा, बेंगलूर - 560 045
Registered & Corporate Office: Outer Ring Road, Nagavara, Bangalore – 560 045

सूचना / N O T I C E

प्रति

सभी शेयरधारक

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयरधारकों की सत्तावनवीं वार्षिक सामान्य बैठक सोमवार, दिनांक 26 सितंबर, 2011 को अपराह्न 2.30 बजे ग्रांड बॉल रूम, होटल शेरेटन बेंगलूर, ब्रिगेड गेटवे , 26/1, डॉ राजकुमार मार्ग, राजाजी नगर, बेंगलूर - 560 055 में निम्नलिखित कारोबार संचालित करने हेतु आयोजित की जाएगी -

सामान्य कारोबार

1. 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष हेतु लाभ व हानि लेखा एवं यथा उस तिथि को तुलन पत्र और उसमें निदेशकों व लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदनों को प्राप्त करने, उस पर विचार करने और उसे अपनाने हेतु ।
2. अंतरिम लाभांश संपुष्ट करने हेतु तथा साम्या शेयरों पर अंतिम लाभांश घोषित करने हेतु ।
3. श्री एच एन रामकृष्णा, जो चक्रानुक्रम से निवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण वे स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं, के स्थान पर निदेशक नियुक्त करने हेतु ।
4. ले जन (नि) जी श्रीधरन, जो चक्रानुक्रम से निवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं, के स्थान पर निदेशक नियुक्त करने हेतु ।
5. श्री एम एस रामचंद्रन, जो चक्रानुक्रम से निवृत्त हो रहे हैं और पात्र होने के कारण स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं, के स्थान पर निदेशक नियुक्त करने हेतु ।

विशेष कारोबार

सामान्य संकल्प

6. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने हेतु -

   "संकल्प किया गया कि श्री एन सीताराम, जिन्हें 28 जनवरी, 2011 को आयोजित बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिनकी नियुक्ति के लिए कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 257 के तहत एक सदस्य से निदेशक के पद हेतु उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए सूचना प्राप्त की है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा किया जाता है जिनका कार्यकाल चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्ति द्वारा निर्धारित होगा ।"

TO

ALL SHAREHOLDERS

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT the fifty seventh Annual General Meeting of the Shareholders of Bharat Electronics Limited will be held on Monday, the 26th of September 2011, at 2.30. p.m. at Grand Ball Room, Hotel SHERATON BANGALORE at Brigade Gateway, 26/1, Dr. Rajkumar Road, Rajaji Nagar, Bangalore – 560 055, to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2011 and the Balance Sheet as at that date and the Reports of the Directors and the Auditors thereon.
2. To confirm the Interim Dividend and declare Final Dividend on Equity Shares.
3. To appoint a Director in place of Mr H N Ramakrishna, who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.
4. To appoint a Director in place of Lt Gen (Retd.) G Sridharan, who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.
5. To appoint a Director in place of Mr M S Ramachandran, who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment.

SPECIAL BUSINESS

ORDINARY RESOLUTION

6. To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as Ordinary Resolution:

   "RESOLVED THAT Mr N Sitaram who was appointed as Additional Director by the Board of Directors of the Company in its meeting held on 28th of January, 2011, to hold office upto the date of this Annual General Meeting and for the appointment of whom the Company has received a notice under Section 257 of the Companies Act, 1956 from a member proposing his candidacy for the office of Director, be and is hereby appointed as a Director of the Company whose period of office shall be liable to determination by retirement by rotation."

7. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने हेतु -

"संकल्प किया गया कि प्रो अनुराग कुमार, जिन्हें 28 जनवरी, 2011 को आयोजित बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिनकी नियुक्ति के लिए कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 257 के तहत एक सदस्य से निदेशक के पद हेतु उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए सूचना प्राप्त की है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा किया जाता है जिनका कार्यकाल चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्ति द्वारा निर्धारित होगा।"

8. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने हेतु -

"संकल्प किया गया कि प्रो. जी माधवन नायर, जिन्हें 28 जनवरी, 2011 को आयोजित बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिनकी नियुक्ति के लिए कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 257 के तहत एक सदस्य से निदेशक के पद हेतु उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए सूचना प्राप्त की है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा किया जाता है जिनका कार्यकाल चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्ति द्वारा निर्धारित होगा ।"

9. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने हेतु -

"संकल्प किया गया कि प्रो. आर वेंकट रॉव, जिन्हें 28 जनवरी, 2011 को आयोजित बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिनकी नियुक्ति के लिए कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 257 के तहत एक सदस्य से निदेशक के पद हेतु उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए सूचना प्राप्त की है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा किया जाता है जिनका कार्यकाल चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्ति द्वारा निर्धारित होगा ।"

10. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करने और यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे संशोधनों के साथ या उनके बिना सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने हेतु -

"संकल्प किया गया कि डॉ. एस एन दाश, जिन्हें 28 जनवरी, 2011 को आयोजित बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इस वार्षिक सामान्य बैठक की तारीख तक पद धारित करने के लिए अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिनकी नियुक्ति के लिए कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 257 के तहत एक सदस्य से निदेशक के पद हेतु उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए सूचना प्राप्त की है, को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाए और एतद्द्वारा किया जाता है जिनका कार्यकाल चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्ति द्वारा निर्धारित होगा ।"

मंडल के आदेशानुसार,
कृते **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड**

सी आर. प्रकाश
कंपनी सचिव

बेंगलूर
19 अगस्त 2011

7. To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT Prof. Anurag Kumar who was appointed as Additional Director by the Board of Directors of the Company in its meeting held on 28th of January, 2011, to hold office upto the date of this Annual General Meeting and for the appointment of whom the Company has received a notice under Section 257 of the Companies Act, 1956 from a member proposing his candidacy for the office of Director, be and is hereby appointed as a Director of the Company whose period of office shall be liable to determination by retirement by rotation."

8. To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT Prof. G Madhavan Nair who was appointed as Additional Director by the Board of Directors of the Company in its meeting held on 28th of January, 2011, to hold office upto the date of this Annual General Meeting and for the appointment of whom the Company has received a notice under Section 257 of the Companies Act, 1956 from a member proposing his candidacy for the office of Director, be and is hereby appointed as a Director of the Company whose period of office shall be liable to determination by retirement by rotation."

9. To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT Prof. R Venkata Rao who was appointed as Additional Director by the Board of Directors of the Company in its meeting held on 28th of January, 2011, to hold office upto the date of this Annual General Meeting and for the appointment of whom the Company has received a notice under Section 257 of the Companies Act, 1956 from a member proposing his candidacy for the office of Director, be and is hereby appointed as a Director of the Company whose period of office shall be liable to determination by retirement by rotation."

10. To consider and if thought fit, to pass, with or without modifications, the following resolution as Ordinary Resolution:

"RESOLVED THAT Dr. S N Dash who was appointed as Additional Director by the Board of Directors of the Company in its meeting held on 28th of January, 2011, to hold office upto the date of this Annual General Meeting and for the appointment of whom the Company has received a notice under Section 257 of the Companies Act, 1956 from a member proposing his candidacy for the office of Director, be and is hereby appointed as a Director of the Company whose period of office shall be liable to determination by retirement by rotation."

By order of the Board,
For **Bharat Electronics Limited**

C R Prakash
Company Secretary

Bangalore
19th August 2011

टिप्पणी

1. यथा उपरोक्त विशिष्ट कारोबार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम) की धारा 173(2) के तारतम्य में संबंधित व्याख्यात्मक विवरण यहाँ संलग्न है और इस सूचना का भाग है ।

2. **वार्षिक सामान्य बैठक ("बैठक") में सम्मिलित होने और मतदान करने के हकदार सदस्य उनकी ओर से सम्मिलित होने और मतदान करने के लिए परोक्षी नियुक्त करने के हकदार हैं और परोक्षी को कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है । बहरहाल, परोक्षी को नियुक्त करने के विलेख को बैठक के प्रारंभ होने से पहले, किंतु 48 घण्टों से पहले नहीं, विधिवत् पूर्ण रूप से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।**

3. **बैठक में सम्मिलित होने वाले प्राधिकृत प्रतिनिधि को भेजने का आशय रखने वाले कारपोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे बैठक में उनकी ओर से भाग लेने और मतदान करने हेतु अपने प्रतिनिधि को प्राधिकृत करते हुए मंडल के संकल्प की प्रमाणित प्रति कंपनी को भेजें ।**

4. भारत सरकार की हरित पहल के भाग के रूप में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने अपने परिपत्र सं. 17/2011 तथा 18/2011 दिनांक क्रमश: 21 अप्रैल, 2011 तथा 29 अप्रैल, 2011 के माध्यम से, तुलन-पत्र, लाभ व हानि लेखा, लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन, निदेशकों का प्रतिवेदन, व्याख्यात्मक विवरण तथा अन्य दस्तावेजों के साथ वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा प्रेषित करने की अनुमति कंपनियों को दी है ।

   एक जिम्मेदार कारपोरेट नागरिक के रूप में कंपनी एमसीए द्वारा किए गए हरित पहल को आगे बढ़ाते हुए अपने शेयरधारकों को उनके संबंधित डिमैट खातों में उनके द्वारा दिए गए तथा निक्षेपकर्ताओं द्वारा कंपनी को उपलब्ध कराए गए ईमेल पतों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के ज़रिए वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना और अन्य दस्तावेज भेजेगी ।

   बहरहाल, कृपया नोट करें कि कंपनी के सदस्य के रूप में आपकी ओर से आवश्यकता की सूचना प्राप्त करने पर, आप लाभ व हानि लेखा और लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन सहित कंपनी के तुलन-पत्र और उसके साथ विधि द्वारा संलग्न किए जाने वाले अन्य सभी दस्तावेजों की हार्ड प्रति नि:शुल्क प्राप्त करने के लिए हकदार होंगे ।

   यदि आप ऊपर उल्लिखित दस्तावेज भौतिक रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया कंपनी के पंजीयक, मे. इंटीग्रेटेड इंटरप्राइज़ेस (इंडिया) लि., को अपने डीमैट खाते के ब्यौरे विधिवत् देते हुए bel@iepindia.com पर यथाशीघ्र सूचित करें ।

   एमसीए द्वारा उसके उपरोक्त परिपत्रों में यथा निर्देशित, कंपनी इन दस्तावेजों को शेयरधारकों के सूचनार्थ एवं उनके द्वारा डाउनलोड करने के लिए कंपनी की वेबसाइट नामत: http://www.bel-india.com पर भी उपलब्ध कराएगी । साथ ही, वार्षिक प्रतिवेदन की भौतिक प्रतियाँ कार्य घण्टों के दौरान निरीक्षण के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में उपलब्ध होंगी ।

   हम सरकार द्वारा की गई इस पहल के प्रति आपके सहयोग और समर्थन की अपेक्षा करते हैं जिससे हमारी पृथ्वी को हरा-भरा और शीतल रखने में मदद मिलेगी ।

5. कंपनी ने साम्या शेयरों पर लाभांश, यदि बैठक में घोषित किया जाए, के लिए पात्र सदस्यों के नामों को निर्धारित करने के लिए सदस्यों की पंजी और शेयर अंतरण बही

NOTE

1. Relevant Explanatory Statement pursuant to Section 173(2) of the Companies Act, 1956 (the Act), in respect of Special Business as set out above is annexed hereto and forms part of the Notice.

2. **A Member entitled to attend and vote at the Annual General Meeting (the "meeting") is entitled to appoint a proxy to attend and vote on a poll instead of himself and the proxy need not be a Member of the Company. The instrument appointing a proxy should, however, be deposited at the Registered Office of the Company duly completed, not less than 48 hours before the commencement of the meeting.**

3. **Corporate members intending to send their authorised representatives to attend the Meeting are requested to send to the Company a certified copy of the Board Resolution authorising their representative to attend and vote on their behalf at the Meeting.**

4. As part of Government of India's Green Initiatives, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its Circular Nos. 17/2011 and 18/2011 dated April 21, 2011 and April 29, 2011 respectively, has permitted companies to dispatch Notice of AGM with Balance Sheet, Profit and Loss Account, Auditors' Report, Directors' Report, Explanatory Statement and other documents through electronic mail.

   The Company, as a responsible corporate citizen, in furtherance of the Green initiatives taken by MCA, will be sending in future the Notice of AGM and other documents to its shareholders through electronic mode to the email address furnished by the shareholders in their respective Demat Accounts and made available to the Company by the Depositories.

   However, please note that you will be entitled to be furnished free of cost with a hard copy of Balance Sheet of the Company and all other documents required to be attached thereto by law, including the Profit and Loss Account and Auditors' Report, upon receipt of a requisition from you, as a member of the Company.

   If you wish to receive the above mentioned documents in physical form please give the intimation to the Company's Registrars, M/s. Integrated Enterprises (India) Ltd., at the e-mail ID: bel@iepindia.com duly quoting your Demat A/c details.

   As directed by MCA vide its above circulars, the Company would also make available these documents on the Company's website viz. http://www.bel-india.com for perusal and download by the shareholders. Also, the physical copies of Annual Report would be available at the Registered Office of the Company for inspection during office hours.

   We look forward for your kind co-operation and support to the initiative undertaken by the Government which would help in keeping our Planet Earth Green and Cool.

5. The Company has already notified closure of Register of Members and Share Transfer Books from 15/09/2011 to 26/09/2011 (both days

को दिनांक 15/09/2011 से 26/09/2011 तक (दोनों दिनों सहित) बंद रखने की सूचना पहले ही दे दी है ।

6. वर्ष 2010-11 हेतु अंतिम लाभांश, यदि वार्षिक सामान्य बैठक में घोषित हो, लाभांश की घोषणा की तिथि से 30 दिनों के भीतर उन सदस्यों को प्रदेय होगा जिनके नाम यथा 14 सितंबर, 2011 को कंपनी के सदस्यों की पंजी में प्रकट होते हैं ।

कंपनी जहाँ कहीं संभव हो, लाभांश भुगतान ईसीएस (इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम) द्वारा तथा अन्य मामलों में लाभांश वारंट / बैंक मांग पत्र द्वारा करेगी । इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के मामले में, लाभांश का भुगतान यथा 14 सितंबर, 2011 को कारोबारी घण्टों की समाप्ति पर इस प्रयोजन हेतु निक्षेपकर्ताओं (एन एस डी एल तथा सी डी एस एल) द्वारा दिए गए हिताधिकारी स्वामित्व ब्यौरों के आधार पर किया जाएगा । इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य नोट करें कि उनके संबंधित निक्षेपागार खातों के समक्ष दर्ज बैंक विवरणों का प्रयोग कंपनी द्वारा लाभांश के भुगतान हेतु किया जाएगा । कंपनी या इसके पंजीयक बैंक संबंधी विवरणों या बैंक आज्ञा में किसी परिवर्तन के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्यों से सीधे प्राप्त किसी अनुरोध पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे परिवर्तनों को सदस्यों के निक्षेपागार सहभागी को ही सूचित किया जाना है। जिन सदस्यों ने निक्षेपागार खाता खोलने के बाद अपना बैंक खाता परिवर्तित किया है और निक्षेपागार खाता खोलते समय विनिर्दिष्ट खाते के अलावा खाते में लाभांश प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे सदस्यों से अनुरोध है कि वे 10 सितंबर, 2011 से पहले अपने निक्षेपागार सहभागी से अपना बैंक खाते के ब्यौरे (नौ अंकों के बैंक कूट सहित) में परिवर्तन / सुधार कर लें ।

7. अधिनियम की धारा 205ए (5) के तहत कंपनियों को अदत्त लाभांश खाते में कंपनियों द्वारा अंतरित ऐसी राशि जो सात वर्षों की अवधि हेतु दावा न की गई/अदत्त रहती है, को अधिनियम की धारा 205 सी के तहत सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा व संरक्षा कोष (कोष) में अंतरित करना आवश्यक है । इस अधिनियम की धारा 205 सी के अनुसार, कोष को इस प्रकार अंतरित अलग-अलग राशियों के संबंध में कोष या कंपनी के समक्ष कोई दावे नहीं होने चाहिए तथा ऐसे किसी भी दावे के संबंध में कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। वर्ष 2010-11 के दौरान, कंपनी ने वर्ष 2002-2003 हेतु अदत्त लाभांश खाते से 81,795/- ₹. की राशि को कोष में अंतरित किया है । वर्ष 2003-2004 के लिए दावा न किए गए / अदत्त लाभांश 2011 में निधि में अंतरित करने हेतु नियत है । इसे कार्यान्वित करने के लिए संबंधित शेयरधारकों को सूचनाएँ भेज दी गई हैं ताकि वे दावा कर राशि प्राप्त कर सकें । कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.bel-india.com में 2003-2004 से लेकर अब तक के लाभांश भुगतान के ब्यौरे "निवेशकों के लिए सूचना" नामक एक पृथक पृष्ठ में तथा अदत्त लाभांश का दावा करने की मार्गदर्शी सूचना लगाई है । शेयरधारकों से निवेदन है कि वे अदत्त / दावा न किए गए लाभांश का दावा करने के लिए इसमें दिए गए फार्म का प्रयोग करें ।

8. कंपनी के लेखों के संबंध में कोई भी सूचना प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रश्न, लिखित में, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में ऐसे भेजें कि वे बैठक से कम से कम 7 दिन पहले पहुँच जाएँ ताकि अपेक्षित सूचना बैठक में उपलब्ध हो सके ।

9. सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक प्रतिवेदन और सूचना की अपनी प्रतियाँ बैठक में साथ लेकर आएँ ।

inclusive) for determining the names of members eligible for dividend on Equity shares, if declared at the Meeting.

6. The Final Dividend for the year 2010-11, if declared at the Meeting, will be payable within 30 days from the date of declaration, to those members whose names shall appear on the Company's Register of Members as on 14th September, 2011.

Company will be making the dividend payment by ECS (Electronic Clearing Services), wherever possible and by dividend warrant / Bank demand drafts in other cases. In respect of shares held in electronic form, the dividend will be paid on the basis of beneficial ownership details furnished by the Depositories (NSDL & CDSL), as at the close of business hours on 14th September, 2011, for this purpose. Members holding shares in electronic form may note that bank particulars registered against their respective depository accounts will be used by the Company for payment of dividend. The Company or its Registrars cannot act on any request received directly from the members holding shares in electronic form for any change of bank particulars or bank mandate. Such changes are to be advised only to the Depository Participant of the Members. Members who have changed their bank account after opening the Depository Account and want to receive dividend in an account other than the one specified while opening the Depository Account, are requested to change/correct their bank account details (including the nine digit Bank code) with their Depository Participant, before 10th of September, 2011.

7. Under Section 205A(5) of the Act, companies are required to transfer to the Investor Education and Protection Fund (the Fund) established by the Government under Section 205C of the Act the money transferred by the companies to the Unpaid Dividend Account and which remain unclaimed/unpaid for a period of seven years. As per Section 205C of the Act no claims shall lay against the Fund or the Company in respect of individual amounts thus transferred to the Fund and no payment shall be made in respect of any such claims. During the year 2010-11 the Company transferred to the Fund an amount of ₹ 81,795/- from the unpaid Dividend Account for the year 2002-03. The unclaimed/unpaid dividend for the year 2003-04 is due for transfer to the Fund in 2011. Notices to this effect have been sent to the respective shareholders to enable them to claim and receive the amount. Company has posted on its website www.bel-india.com in a separate page titled "Information for Investors" the details of dividend payment since 2003-04 onwards and guidance information for claiming unpaid dividend. Members are requested to make use of the claim form provided therein to claim unpaid/unclaimed dividend.

8. Members desirous of getting any information in respect of Accounts of the Company are requested to send their queries, in writing, to the Company at the Registered Office so as to reach at least 7 days before the meeting so that the required information can be made available at the meeting.

9. Members are requested to bring their copies of the Annual Report and the Notice to the meeting.

10. बैठक में सम्मिलित हो रहे सदस्यों / परोक्षियों से अनुरोध है कि वे संलग्न उपस्थिति पर्ची भरकर उसे बैठक के प्रवेश स्थल पर सुपुर्द करें ।

11. बैठक में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में, केवल ऐसे संयुक्त धारक जो नामों के क्रम में ऊपर होंगे, मतदान करने के हकदार होंगे ।

12. शेयरों को भौतिक रूप में धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते में हुए किसी भी परिवर्तन के बारे में कंपनी के पंजीयक व अंतरण एजेन्ट मेसर्स इंटीग्रेटेड इंटरप्राइज़ेस (इंडिया) लि., 30, रमणा रेसिडेन्सी, भूतल, 4 था क्रास, सम्पिंगे रोड, मल्लेश्वरम, बेंगलूर - 560003, दूरभाष 080 - 23460815 - 18, फैक्स 080 - 23460819 को लिखित सूचना भेजते हुए तुरंत सूचित करें । शेयरों को डीमैट रूप में धारित करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित निक्षेपागार सहभागियों से संपर्क करें जिनके साथ उन्होंने डीमैट खाता खोला है और पते में हुए परिवर्तन को दर्ज कराएँ ।

13. शेयरों को अब भी भौतिक रूप में धारित करने वाले शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे शेयर प्रमाण-पत्रों के खो जाने / गलत स्थान पर रखे जाने / चोरी / जालसाज़ी से पैदा होने वाली परेशानियों से बचने के लिए अपने हित को ध्यान में रखते हुए शेयरों को डीमैट करा लें । कंपनी ने शेयरधारकों को बी ई एल के शेयरों को डीमैट कराने हेतु दोनों निक्षेपागारों अर्थात् एन एस डी एल और सी डी एस एल के साथ करार किए हैं । सदस्य इस संबंध में कृपया पंजीयक व अंतरण एजेन्ट, मेसर्स इंटीग्रेटेड इंटरप्राइज़ेस (इंडिया) लि., से संपर्क करें ।

सूचना का संलग्नक

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 173(2) के तारतम्य में व्याख्यात्मक विवरण ।

मद सं. 6 - 10 के संबंध में

चूँकि आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, इसके मंडल के निदेशक भारत सरकार (सरकार) द्वारा नियुक्त किए जाते हैं । सरकार ने दिनांक 21.12.2010 को कंपनी के निदेशक मंडल में 3 वर्षों की अवधि के लिए निम्नलिखित निदेशकों को नियुक्त किया है -

i) श्री एन सीताराम, पूर्व मुख्य नियंत्रक (अनु.व वि.), डीआरडीओ
ii) प्रो. अनुराग कुमार, प्रोफेसर, भा.वि.सं., बेंगलूर
iii) प्रो. जी माधवन नायर, पूर्व अध्यक्ष, इसरो
iv) प्रो. आर वेंकट रॉव, कुलपति, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, बेंगलूर तथा
v) डॉ. एस एन दाश, पूर्व सचिव, भारत सरकार

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 260 तथा कंपनी की अंतर्नियमावली के अनुच्छेद 71सी के तारतम्य में निदेशक मंडल ने दिनांक 28.01.2011 को हुई बैठक में उपरोक्त व्यक्तियों को अगली वार्षिक सामान्य बैठक की तिथि तक पदधारित करने के लिए अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया है ।

तत्पश्चात, कंपनी ने अधिनियम की धारा 257 के तहत उपरोक्त व्यक्तियों को कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव करने के आशय को स्पष्ट करते हुए सदस्यों से लिखित में तीन सूचनाएँ प्राप्त की हैं और इन सूचनाओं के साथ प्रत्येक के लिए ₹ 500/- का जमा प्राप्त किया है ।

10. Members/Proxies attending the meeting are requested to complete the enclosed Attendance Slip and deliver the same at the entrance of the meeting venue.

11. In case of joint holders attending the Meeting, only such joint holder who is higher in the order of names will be entitled to vote.

12. Members holding shares in physical form are requested to notify to the Company's Registrars and Transfer Agent, M/s Integrated Enterprises (India) Ltd., 30, Ramana Residency, Ground Floor, 4th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bangalore–560003, Tel. 080-23460815-18, Fax. 080-23460819 immediately any change in their address, by sending a written communication. Members who are holding shares in demat form are requested to contact the respective Depository Participants with whom they have opened the Demat Account and get the change of address recorded.

13. Members still holding shares in physical form are advised to dematerialise the shares in their own interest to avoid difficulties arising from loss/ misplacement/ theft/ forgery of share certificates. Company has entered into agreements with both the depositories, viz. NSDL and CDSL to enable the shareholders to dematerialise BEL shares. Members may please contact the Registrar and Transfer Agent, M/s Integrated Enterprises (India) Ltd., in this connection.

ANNEXURE TO THE NOTICE

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO SECTION 173(2) OF THE COMPANIES ACT, 1956.

In respect of item No.6 - 10

Your Company being a Government Company, the Directors on the Board are appointed by the Government of India (Government). Government has on 21.12.2010 appointed the following Directors on the Board of Directors of the Company, for a period of 3 years:

i) Mr N Sitaram, former Chief Controller (R&D), DRDO
ii) Prof Anurag Kumar, Professor, IISc, Bangalore
iii) Prof G Madhavan Nair, former Chairman, ISRO
iv) Prof R Venkata Rao, Vice-Chancellor, National Law University, Bangalore and
v) Dr S N Dash, former Secretary to Government of India

Pursuant to Section 260 of the Companies Act, 1956 and Article 71C of the Articles of Association of the Company, the Board of Directors at Board meeting held on 28-01-2011 appointed above persons as Additional Directors to hold office upto the date of the next Annual General Meeting.

Subsequently, the Company has received five notices in writing under Section 257 of the Act from members signifying their intention to propose the appointment of above persons as Directors of the company and a deposit of ₹ 500/- each has been received along with notices.

स्टाक एक्सचेंजों के सूचीकरण करार के अनुसार शेयरधारकों को अग्रेषित किए जाने हेतु आवश्यक ब्यौरे सहित उपरोक्त नए निदेशकों के संक्षिप्त जीवन-वृत्त संलग्न है । आपके निदेशक महसूस करते हैं इन व्यक्तियों के ज्ञान तथा समृद्ध अनुभव से कंपनी को प्रचुर लाभ होगा और तदनुसार सूचना की मद सं. 6-10 में प्रस्तावित संकल्प पारित करने की संस्तुति करते हैं ।

अतिरिक्त निदेशकों (इन संकल्पों में निदेशकों के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु प्रस्तावित व्यक्ति) को छोड़कर कोई भी निदेशक मद सं. 6-10 में दिए गए संकल्प में किसी भी प्रकार से संबद्ध या इच्छुक नहीं है ।

पुनःनियुक्त / नियुक्त किए जाने हेतु प्रस्तावित निदेशकों का संक्षिप्त जीवन-वृत्त

पुनःनियुक्त किए जाने हेतु प्रस्तावित निदेशकगण

श्री एच एन रामकृष्णा मैसूर विश्वविद्यालय से बी.एससी. और बीई (इलेक्ट्रॉनिक्स) हैं और भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूर से एम.ई. (इलेक्ट्रॉनिक्स) धारक हैं । निदेशक (विपणन) के रूप में अपनी नियुक्ति से पूर्व वे बेंगलूर काम्पलेक्स में महाप्रबंधक (सैन्य संचार) के रूप में कंपनी में सेवाएँ प्रदान करते रहे हैं । उन्होंने वर्ष 1977 में परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में बीईएल में कार्यग्रहण किया था और वर्ष 2006 में महाप्रबंधक बने । 32 वर्षों के कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंपनी में विभिन्न उत्तरदायी पदों पर कार्य किया और उन्हें सैन्य संचार उत्पादों के अभिकल्प, नव-उत्पाद मूल्यांकन, आर एवं एम अध्ययन तथा विफलता विश्लेषण एवं सैन्य संचार उत्पादों तथा जटिल वायुवाहित इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के निर्माण का दीर्घ अनुभव है । वे 3 वर्षों तक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स गुणता संस्थान के संकाय सदस्य भी रहे । श्री एच एन रामकृष्णा किसी अन्य कंपनी के मंडल में नहीं हैं । वे बीईएल में कोई शेयर धारण नहीं करते ।

ले. जन. (नि.) जी श्रीधरन सैन्य इलेक्ट्रॉनिकी एवं मेकेनिकल अभियांत्रिकी महाविद्यालय (एमसीईएमई) से प्रौद्योगिकी स्नातक हैं । वे एमसीईएमई से औद्योगिकी अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक, अभियंता संस्थान से एमआईई (इलेक्ट्रॉनिक्स) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार अभियंता संस्थान से एमआईईटीई धारक भी हैं । इससे पहले उन्होंने रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक, गुणता आश्वासन के रूप में भी अपनी सेवाएँ प्रदान की हैं । उनके द्वारा किए गए कार्यों में रणनीतिक योजना, सूक्ष्म-स्तरीय नीति संरचना, निर्णय लेना, संसाधन प्रबंधन तथा लॉजिस्टिक प्रबंधन शामिल हैं । उन्हें नेतृत्व-क्षमता एवं प्रबंधन में 35 वर्षों से अधिक तथा गुणता प्रबंधन में 18 वर्षों का अनुभव है । उनकी प्रमुख क्षमताएँ परियोजना प्रबंधन, टीम निर्माण तथा गुणता प्रबंधन में हैं । ले. जन. (नि.) जी श्रीधरन किसी अन्य कंपनी के मंडल में नहीं हैं । वे बीईएल की लेखा परीक्षा समिति तथा निवेशकों/शेयरधारकों की शिकायत समिति के अध्यक्ष हैं । वे बीईएल में कोई शेयर धारण नहीं करते ।

श्री एम एस रामचंद्रन इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. के पूर्व अध्यक्ष हैं । उन्होंने 1966 में अभियांत्रिकी महाविद्यालय, गुइंडी, चेन्नै से मेकेनिकल अभियांत्रिकी में स्नातक किया है । अशोक लेलैंड में लगभग 4 वर्षों तक कार्य करने के बाद, उन्होंने वर्ष 1969 में आईओसी में कार्यग्रहण किया था । आईओसी में उन्होंने 2005 तक लगभग 36 वर्षों तक कार्य किया । इन 36 वर्षों के दौरान, उन्होंने कार्यकारी निदेशक, निदेशक (योजना एवं कारोबार विकास) और अंततः अध्यक्ष सहित विभिन्न उत्तरदायी पदों को धारित किया । 1998-2000 के दौरान वे कार्यकारी निदेशक, ऑयल समन्वयन समिति रहे । तथ्यतः विनियामक निकाय तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की विस्तारित शाखा के प्रमुख के रूप में उन्होंने आयात, वस्तुसूची, प्रबंधन एवं पर्यावरण-मैत्रीपूर्ण उत्पाद प्रारंभ करने सहित उद्योग भर के लिए आपूर्ति तथा लॉजिस्टिक योजना का नेतृत्व किया । उन्होंने इस क्षेत्र का अवस्थाबद्ध

Brief resume of the above new directors including the details required to be forwarded to the Shareholders as per Listing Agreement with Stock Exchanges, enclosed. Your Directors feel that the Company would immensely benefit from the knowledge and rich experience possessed by these persons and accordingly recommend the passing of the resolutions proposed at items No. 6-10 of the Notice.

No Director other than the Additional Directors (the persons proposed to be appointed as Directors in these resolutions) is in any way concerned or interested in the resolutions set out at items No. 6-10.

Brief Resume of Directors Proposed to be Reappointed/Appointed

Directors Proposed to be Reappointed

Mr H N Ramakrishna is B. Sc., & BE (Electronics) from Mysore University and ME (Electronics) from Indian Institute of Science, Bangalore. Prior to his appointment as Director (Marketing), he has been serving the Company as General Manager (Military Communication) at its Bangalore Complex. He jointed BEL in the year 1977 as Probationary Officer and rose to become General Manager in the year 2006. During the span of 32 years he has held various responsible posts in the Company and has wide experience in design of Military Communication products, New Product Evaluation, R&M studies and failure analysis and manufacture of military communication products and complex airborne electronic systems. He has also been a faculty member of the Bharat Electronics Quality Institute for 3 years. Mr. H N Ramakrishna is not on the Board of any other Company. He does not hold any shares in BEL.

Lt. Gen. (Retd.) G Sridharan is Bachelor of Technology in Electronics Engineering from Military College of Electronics and Mechanical Engineering (MCEME). He also holds a post graduate diploma in Industrial Engineering from MCEME, MIE (Electronics) from Institution of Engineers and MIETE from Institution of Electronics and Telecommunication Engineers. Earlier, he served as Director General Quality Assurance in the Department of Defence Production, Ministry of Defence. The job included strategic planning, macro-level policy formulation, decision-making, resource management and logistics management. He has over 35 years of experience in leadership and management and 18 years experience in quality management. He has core competencies in project management, team building and quality management. Lt. Gen. (Retd.) G Sridharan is not on the Board of any other company. He is the Chairman of BEL Audit Committee and the Investors/Shareholders Grievance Committee. He does not hold any shares in BEL.

Mr M S Ramachandran is the former Chairman of the Indian Oil Corporation Ltd. He graduated in Mechanical Engineering from the College of Engineering, Guindy, Chennai in 1966. After working for about 4 years in Ashok Leyland he joined IOC in the year 1969. He worked with IOC for about 36 years till 2005. During these 36 years he held various responsible positions including that of Executive Director, Director (Planning & Business Development) and finally as Chairman. During 1998-2000 he was Executive Director, Oil Co-ordination Committee. As head of the de facto regulatory body and an extended arm of the Ministry of Petroleum and Natural Gas, led industry-wide supply and logistics planning including imports, inventory,

विनियमन का भी पर्यवेक्षण किया जिसमें प्रचालित मूल्य-निर्धारण व्यवस्था को विखंडित करना और बाज़ार संबद्ध मूल्य-निर्धारण प्रारंभ करना शामिल थे । श्री एम एस रामचंद्रन बीईएल के अलावा 4 कंपनियों के मंडलों में निदेशक हैं - (1) आईसीआईसीआई बैंक लि., (2) ऐस्टर इंडस्ट्रीज़ लि., (3) गल्फ ऑयल कारपोरेशन लि., तथा (4) सुप्रीम पेट्रोकेमिकल्स लि. । वे बीईएल, आईसीआईसीआई बैंक लि तथा ऐस्टर इंडस्ट्रीज़ लि. में लेखा परीक्षा समितियों के सदस्य हैं । वे बीईएल में कोई शेयर धारण नहीं करते ।

नियुक्त किए जाने हेतु प्रस्तावित निदेशक

श्री एन सीताराम जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के पूर्व मुख्य नियंत्रक (अनु.व वि.) हैं, भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलूर से बी.ई. डिग्री तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपूर से एम. टेक. डिग्री धारक हैं । उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में सैन्य संचार एवं सूचना प्रणालियाँ हैं । डीआरडीओ के साथ अपने 40 वर्षों के लंबे सहकार के दौरान, विशिष्ट वैज्ञानिक तथा अनुसंधान एवं विकास के मुख्य नियंत्रक (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर विज्ञान) के रूप में पदोन्नत होने से पहले उन्होंने रोबोटिक्स एवं आसूचना प्रणाली संस्थान (आईआरआईएस), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रेडार विकास संस्थापना (एलआरडीई, संचार प्रभाग) तथा एआई एवं रोबोटिक्स केन्द्र (सीएआईआर) जैसी रक्षा अनुसंधान प्रयोगशालाओं का नेतृत्व किया । सीसीआर एवं डी के रूप में, उनके पास डीआरडीओ की 11 अनु. व वि. प्रयोगशालाओं का अधिकार-क्षेत्र था जिनमें बेंगलूर में एलआरडीई, सीएआईआर तथा एमटीआरडीसी, हैदराबाद में डीएलआरएल, दिल्ली में एलएएसटीईसी, एसएसपीएल तथा एसएजी और देहरादून में डीईएल और आईआरडीई शामिल हैं । वे संयुक्त साइफर ब्यूरो (जेसीबी) के मुख्य सम न्वयक, एकीकृत सर्किट प्रौद्योगिकी एवं व्यावहारिक अनुसंधान सोसाइटी (सितार) के शासी परिषद के अध्यक्ष तथा भारत सरकार की साइफर नीति समिति के सह-अध्यक्ष भी थे । उन्होंने रेडार, संचार, इलेक्ट्रॉनिक युद्धपद्धति, सूचना प्रणालियाँ, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल साधित्रों / उपकरणों, सूक्ष्मतरंग ट्यूबों आदि सहित अनेक विषय-क्षेत्रों की व्यापक श्रृंखला में प्रमुख प्रणाली विकास परियोजनाओं तथा प्रौद्योगिकी विकास कार्यकलापों का संचालन किया । श्री एन सीताराम किसी अन्य कंपनी के मंडल में नहीं हैं । वे बीईएल में कोई शेयर धारण नहीं करते ।

प्रो. अनुराग कुमार भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूर में वैद्युत संचार अभियांत्रिकी विभाग में प्रोफेसर तथा वैद्युत विज्ञान प्रभाग के अध्यक्ष हैं । वे बी.टेक. और पीएच. डी. हैं और उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र "संचार नेटवर्क" है । वे भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलूर में 1998 से वैद्युत संचार अभियांत्रिकी विभाग में संकाय सदस्य हैं और उन्होंने सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर जैसे विभिन्न पदों को धारित किया है । वे 2004-2007 के दौरान वैद्युत एवं संचार अभियांत्रिकी विभाग के अध्यक्ष तथा 2000-2003 के दौरान एसोसिएट अध्यक्ष भी रह चुके हैं । मई से नवंबर 1996 के दौरान वे बेतार सूचना नेटवर्क प्रयोगशाला, रुटजर्स विश्वविद्यालय, यूएसए में विज़िटिंग अनुसंधान स्कॉलर थे । 1981-1988 के दौरान वे कार्य-निष्पादन विश्लेषण विभाग, एटी एंड टी बेल लेबोरेटरीज़, यूएसए में सदस्य, तकानीकी स्टाफ थे । उन्होंने 2 पुस्तकें, 52 जर्नल पत्र प्रकाशित की हैं और 99 सम्मेलन कार्यवाही पत्रों को संदर्भित किया है । प्रो. अनुराग कुमार किसी अन्य कंपनी के मंडल में नहीं हैं । वे बीईएल में कोई शेयर धारण नहीं करते ।

प्रो. जी माधवन नायर, पूर्व अध्यक्ष, इसरो तथा वीएसएससी के विशिष्ट प्रोफेसर ने 1966 में अभियांत्रिकी में स्नातक किया और भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी), मुंबई में प्रशिक्षण प्राप्त किया । भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ उनका सहयोग तब प्रारंभ हुआ जब 1967 में उन्होंने थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लांचिंग स्टेशन (टीईआरएलएस)

management and eco-friendly product introduction. He also oversaw the phased deregulation of this sector, including dismantling of the administered pricing mechanism and introduction of market linked pricing. Mr M S Ramachandran is a Director on the Boards of 4 companies other than BEL: (1) ICICI Bank Ltd., (2) Ester Industries Ltd., (3) Gulf Oil Corporation Ltd. and (4) Supreme Petrochemicals Ltd. He is a member of the Audit Committees in BEL, ICICI Bank Ltd., and Ester Industries Ltd. He does not hold any shares in BEL.

DIRECTORS PROPOSED TO BE APPOINTED

Mr. N. Sitaram, former Chief Controller (R&D), Defence Research & Development Organisation (DRDO), has a B.E. degree from Indian Institute of Science (IISc), Bangalore and a M.Tech. degree from Indian Institute of Technology (IIT) Kanpur. His area of specialisation is Military Communication & Information Systems. During his 40 years long association with DRDO, he headed Defence Research laboratories such as Institute for Robotics & Intelligent Systems (IRIS), Electronics & Radar Development Establishment (LRDE, Communication Division) and Centre for AI & Robotics (CAIR), before being elevated as Distinguished Scientist & Chief Controller of Research & Development (Electronics & Computer Science). As CCR&D he had jurisdiction over as many as 11 R&D labs of DRDO, Including LRDE, CAIR and MTRDC at Bangalore, DLRL at Hyderabad, LASTEC, SSPL and SAG at Delhi, and DEAL and IRDE at Dehradun. He was also Chief Co-ordinator for joint Cipher Bureau (JCB), Chairman of the Governing Council for Society for integrated Circuit Technology and Applied Research (SITAR) and Co-chairman of Cipher Policy Committee of Government of India. He steered major systems development projects and technology development activities in a wide range of disciplines, including Radar, Communication, Electronic Warfare, Information Systems, Electro-optical Devices/ Instruments, Microwave Tubes, etc. Mr N Sitaram is not on the Board of any other company. He does not hold any shares in BEL.

Prof. Anurag Kumar is a Professor in the Dept. of Electrical Communication Engg, and Chairman, Division of Electrical Sciences at the Indian Institute of Science, Bangalore. He is B. Tech. & Ph. D. and his area of specialization is "Communication Network" He has been a faculty member in the Dept. of Electrical Communication Engineering of the Indian Institute of Science, Bangalore since 1998 and held various positions such as Asst. Professor, Associate Professor and Professor. He has also been the Chairman of Dept. of Electrical and Communication Engineering during 2004 – 2007 and Associate Chairman during 2000 – 2003. During May 1996 – November 1996 he was Visiting Research Scholar, Wireless Information Network Lab, Rutgers University, USA. During 1981-1988 he was a Member of Technical Staff, Performance Analysis Dept., AT&T Bell Laboratories, USA. He has published 2 books, 52 journal papers and referred 99 conference proceedings papers. Prof. Anurag Kumar is not on the Board of any other Company. He does not hold any shares in BEL.

Prof. G Madhavan Nair, former Chairman, ISRO and VSSC Distinguished Professor, graduated in Engineering in 1966 and underwent training at Bhabha Atomic Research Center (BARC), Bombay. His association with Indian Space Research began when he joined Thumba Equatorial Rocket Launching Station

में कार्यग्रहण किया । तब से, उन्होंने विभिन्न पदों को धारित किया, अपने मार्ग में अनुकरणीय मील-पत्थर स्थापित किए और इसरो के अध्यक्ष बने । इसरो के अध्यक्ष के रूप में उन्हें भारत में व्यक्ति और समाज की समस्याओं का समाधान करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उसके अनुप्रयोगों के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई । इसरो के अध्यक्ष / सचिव, अंतरिक्ष विभाग के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 25 सफल मिशनों को पूरा किया । उन्होंने अंतरिक्ष प्रणालियों की क्षमता को बढ़ाने और साथ ही अंतरिक्ष तक पहुँच की लागत को कम करने के लिए भावी प्रौद्योगिकियों के विकास की ओर पहल किया । उन्होंने सामान्यत: समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए, टेली-शिक्षा तथा टेली-मेडिसिन जैसे अनुप्रयोग विकसित करने वाले कार्यक्रमों पर प्रमुख ज़ोर दिया । अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष के रूप में श्री माधवन नायर देश में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भावी योजना तैयार करने के लिए उत्तरदायी थे । उन्होंने ऐस्ट्रोटैट तथा चंद्रयान मिशनों का प्रयोग करते हुए बाहरी अंतरिक्ष में वैज्ञानिक समन्वेष में प्रमुख ज़ोर दिया । सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए संचार सुदूर संवेदन तथा अनुप्रयोग कार्यक्रम के लिए वे लांच यान, अंतरिक्ष यानों से संबंधित नई प्रोद्योगिकी विकास कार्य करने के लिए अपना मार्गदर्शन एवं नेतृत्व भी प्रदान कर रहे हैं । प्रो. माधवन नायर किसी अन्य कंपनी के मंडल में नहीं हैं । वे बीईएल में कोई शेयर धारण नहीं करते ।

प्रो. रामभट्ला वेंकट रॉव, कुलपति, भारतीय राष्ट्रीय विधि विद्यालय विश्वविद्यालय एम.ए., एम.एल. और पीएच. डी. हैं और उनकी विशेषज्ञता के क्षेत्रों में हैं - मानवाधिकार एवं मानवीय कानून, आपराधिक कानून, विधि-शास्त्र एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून । उन्हें 30 वर्षों का स्नातकोत्तर शिक्षण, अनुसंधान एवं पीएच.डी. के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने सहित 32 वर्षों का शिक्षण अनुभव है । विगत में उनके द्वारा धारित अन्य पदों में शामिल हैं - डीन, संकाय सदस्य, आंध्र विश्वविद्यालय, प्राचार्य, विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय, आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम, उपाध्यक्ष, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय, नई दिल्ली, नामित सदस्य, शैक्षिक समिति, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), नई दिल्ली, चयनित सदस्य, शासी परिषद, भारतीय विधि संस्थान, शासी परिषद, 2009-2012 तक तीन वर्षों के लिए भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के शासी परिषद के लिए नामित, वर्ष 2010-2011 के लिए शासी मंडल, एशियन विधि संस्थान (एएसएलआई) के अध्यक्ष के रूप में चयनित, आदि । उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित जर्नलों में 100 से अधिक पत्र प्रकाशित किए हैं और 90 राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में पत्र प्रस्तुत किए हैं । प्रो. आर. वेंकट रॉव हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लि. के निदेशक मंडल के भी सदस्य हैं । वे बीईएल में कोई शेयर धारण नहीं करते ।

डॉ. सत्यनारायण दाश, पूर्व प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं जो भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय में भारी उद्योग विभाग के सचिव के रूप में मार्च , 2010 को सेवानिवृत्त हुए थे । उनकी शैक्षिक योग्यताओं में शामिल हैं- एम.एससी (भौतिकी), दिल्ली विश्वविद्यालय, एम.ए. (अर्थशास्त्र), केरल विश्वविद्यालय, पीएच.डी (अर्थशास्त्र), बोस्टन विश्वविद्यालय, यूएसए तथा प्रबंधन एवं मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से एमबीए । भारत सरकार में उनके द्वारा धारित पदों में शामिल हैं - सचिव, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, र.मं., प्रधान सलाहकार, योजना आयोग, सदस्य (वित्त), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा संयुक्त सचिव / अपर सचिव, स्टील मंत्रालय । केरल सरकार में, उन्होंने गृह एवं सतर्कता, वित्त, उद्योग एवं वाणिज्य, समाज कल्याण एवं परिवहन, उत्पाद शुल्क, निगमित योजना आदि जैसे विभिन्न विभागों में उच्चतर पद धारित किया है । अपनी पीएच. डी. करते समय उन्होंने बोस्टन विश्वविद्यालय, यूएसए के अर्थशास्त्र विभाग में कुछ समय तक शिक्षण एवं अनुसंधान का भी कार्य किया । डॉ एस. एन. दाश किसी अन्य कंपनी के मंडल में नहीं हैं । वे बीईएल में कोई शेयर धारण नहीं करते ।

(TERLS) in 1967. Since then, he has held various positions, posting illustrious milestones on his way to the position of Chairman ISRO. As Chairman, ISRO, he was entrusted with the responsibility of development of space technology and its applications to solve the problems of man & society in India. During his tenure as Chairman, ISRO/Secretary, DOS, 25 successful missions have been accomplished. He has taken initiatives towards development of futuristic technologies to enhance the space systems capabilities as well as to reduce the cost of access to space. He has given major thrust for evolving application programmes such as tele-education and telemedicine for meeting the needs of the society at large. Mr Madhavan Nair as Chairman, Space Commission was responsible for chalking out the future plan for space research in the country. Major thrust are in scientific exploration of outer space using the Astrosat and Chandrayaan (moon) missions. He is also providing guidance and leadership in undertaking new technology developments related to launch vehicle, spacecrafts for communication remote sensing and applications programme to meet societal needs. Prof. Madhavan Nair is not on the Board of any other Company. He does not hold any shares in BEL.

Prof. Rambhatla Venkata Rao, Vice Chancellor, National Law School of India University, is M.A., M.L. and Ph.D and his areas of specialization are: Human Rights and Humanitarian Law , Criminal Law, Jurisprudence and International Law. He has 32 years of Teaching experience including 30 years Post Graduate Teaching, Research and guiding Ph.D. students. The other positions held by him in the past include: Dean, Faculty Law, Andhra University, Principal, University College of Law, Andhra University, Vishakhapatnam, Vice President, Indian Society of International Law, New Delhi, Nominated Member, Academic Committee, Indian Institute of Public Administration (IIPA), New Delhi, Elected Member, Governing Council, Indian Law Institute, been nominated to the Governing Council, Indian Law Institute, New Delhi for three years from 2009-2012, elected as the Chairman, Board of Governors, Asian Law Institute (ASLI) for the year 2010-2011, etc. He has published more than 100 papers in Journals of National and International repute and presented papers at 90 National/International Seminars. Prof. R Venkata Rao is also a member of the Board of Directors of Hindustan Aeronautics Ltd.. He does not hold any shares in BEL.

Dr. Satyanarayana Dash, is a former Indian Administrative Service Official retired in March, 2010 as Secretary Department of Heavy Industry in the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises. His academic qualifications include M.Sc. (Physics) Delhi University, M.A. (Economics), University of Kerala, Ph. D (Economics), Boston University, USA and Post Graduate diplomas in Management, Human Resources Management and MBA from IGNOU. The positions held by him in the Government of India includes: Secretary, Department of Ex-Servicemen Welfare, MoD, Principal Advisor, Planning Commission, Member (Finance), National Highway Authority of India and Joint Secretary / Additional Secretary, Ministry of Steel. In the Government of Kerala, he held higher positions in various Departments such as Home & Vigilance, Finance, Industries & Commerce, Social Welfare & Transport, Excise, Corporate Planning, etc. While doing his Ph. D. he had a stint in teaching & Research in the Dept. of Economics, Boston University, USA. Dr. S N Dash is not on the Board of any other Company. He does not hold any shares in BEL.

Contents

Description	Page No.
Chairman's Letter	1
Corporate Vision, Mission, Values and Objectives	3
Board of Directors	4
Principal Executives, Bankers, Auditors	5
The Past Decade	6
Directors' Report	7
Statement pursuant to Section 212 of the Companies Act 1956	18
Management Discussion and Analysis Report	21
Corporate Governance Report	28
Auditors' Report	39
Comments of the C&AG	42
Significant Accounting Policies	44
Balance Sheet	48
Profit and Loss Account	49
Schedules to Financial Statements (1-22)	50
Cash Flow Statement	68
Auditors' Report on the Consolidated Financial Statements	69
Consolidated Financial Statements	70

Chairman's Letter



Dear shareholders

It is a great pleasure to communicate to you directly once again and to share with you the highlights of the achievements of your Company during the past year and the future outlook for the Company.

Highlights of the year

In FY 2010-11, new records have been set for order acquisition, revenues, order book, profits and exports. Your Company achieved a turnover of ₹ 552,969 lakhs in 2010-11 as against ₹ 521,977 lakhs in 2009-10, registering a growth of 5.94%. Exports sales saw a quantum jump from US $ 23.67 millions in 2009-10 to US $ 41.53 millions in 2010-11, an increase of 75.45%. The order book more than doubled from ₹ 1,135,000 lakhs as on 1st April 2010 to ₹ 2,360,000 lakhs as on 1 April 2011.

All the nine manufacturing Units of the Company have performed well and earned profits during the year. Our efforts to streamline our costs and execution capabilities yielded dividends, which resulted in increase of Profit After Tax for 2010-11 to ₹ 86,147 lakhs from ₹ 72,087 lakhs last year, an increase of 19.50% in spite of the additional cost of wage revision. R&D continues to be our thrust area and our expenditure on R&D was ₹ 38,818 lakhs, which is 7% of the sales revenue.

Defence being our mainstay, the sector contributed 80% to our sales revenue with the balance of 20% coming from the civilian sector. Indigenously developed products contributed 78% to the turnover out of which 57% came from in-house developments and 21% from products developed by other indigenous agencies. 22% of the turnover was contributed by products using foreign technology.

A few of the other highlights are:

- The Defence Minister inaugurated the newly set up Product Support Centre at Kalamessery, Kochi, for providing product support to Southern Naval Command.
- A modern D&E facility with Embedded Systems Lab was started at BEL's Hyderabad Unit.
- During FY 2010-11, BEL took up some major and prestigious projects like Akash Weapon System, Humsa NG, Integrated Fire Detection and Suppression System for Tanks and Armoured Vehicles, and Coastal Security System for the Indian Coast Guards.
- Four numbers of India's first and wholly indigenous Nuclear, Biological and Chemical Recce Vehicles developed by BEL in association with DRDO were delivered to the Indian Army.
- On the civil business side, Ministry of Home Affairs has nominated us for the creation of the National Population Register for the Country.

You will be happy to know that your Company has received several accolades, the most notable being:

- The Gold trophy for "SCOPE Meritorious Award for Corporate Governance" for the year 2009-10.
- Award for the Top Indian Company under the Electrical and Electronic Equipment, Technology Development Sector for the Dun and Bradstreet–Rolta Corporate Awards 2010.
- International Aerospace Awards 2011 under the category of "Most Influential Company of the Year" and "Excellence in Innovation".

Future outlook

The Govt. of India has put in place a policy for replacing and acquiring weapon systems/platforms for its defence and paramilitary forces. Helped by the steady economic growth in the Country, the Govt. is in a position to provide the required resources too.

The Govt's modernisation drive for its security forces will provide business opportunities for BEL in future. Starting with an all time high order book, we are targeting a turnover of